"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 735] नवा रायपुर, गुरूवार, दिनांक 18 सितम्बर 2025 — भाद्र 27, शक 1947

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

क्रमांक 6243/डी. 134/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 28-08-2025 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 28 सन् 2025)
छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025

छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क. 25 सन् 1991) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 3 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है), की धारा 3 की उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाये, अर्थात्:—

"(3) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर मोटरयान के स्वामित्व के प्रत्येक अंतरण पर, उप–धारा (1) के अधीन देय कर के अतिरिक्त, अंतरण कर देय होगा।"

प्रथम अनुसूची का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची के मद नौ के पश्चात्, निम्नलिखित मद जोड़ी जाये, अर्थात्:—

"दस. मोटरयान के स्वामित्व के अंतरण के समय देय अंतरण कर:—

स.क्र.	मोटरयान का विवरण	अंतरण कर की प्रस्तावित दर
(1)	(2)	(3)
1.	गैर–परिवहन यान	पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का 1%
2.	परिवहन यान	पंजीयन के समय यान के मानक मूल्य का 0.5%"

4. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग–एक के सरल क्रमांक 8 के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:– द्वितीय अनुसूची का संशोधन

"ऐसे समस्त यान, जो कंस्ट्रक्शन इक्युपमेंट श्रेणी के अंतर्गत आते है, अर्थात् "संनिर्माण उपस्कर यान" से रबड़ की टायरवाली (न्यूमेटिक टायर सहित), स्वयं प्रणोदित मशीन, रबड़ पैडवाला या रबड़ अथवा स्टील ड्रम वाला पहिएदार माउंटेड काम्पैक्टर, पहिएदार हाईड्रोलिक उत्खनक, पहिएदार लोडर, बेकहो लोडर, स्कीड–स्टीयर लोडर, डम्पर, मोटरग्रेडर, मोबाइल क्रेन, रबड़ ट्रैक वाली डोजर और पेवर्स अथवा रबड़ पैड या व्हील वाली पेवर्स, फोर्क लिफ्ट ट्रक, स्वयं लदान कंक्रीट मिक्सर या स्व–प्रणोदित ब्रूम पम्प, स्व–प्रणोदित या कंक्रीट पम्प या अर्थ मूविंग या भूमि, चट्टान, अन्य सामाग्रियों के खनन, लदान, परिवहन, ड्रिलिंग, फैलाने, जमा करने या खाई बनाने, राजमार्ग से दूर खनन, औद्योगिक उपक्रम, सिंचाई और सामान्य निर्माण कार्य करने के लिए मूल रूप से परिकल्पित, लेकिन राजमार्ग की क्षमताओं के साथ ऑन या ऑफ या ऑन और ऑफ रूप में उपंतरित और विनिर्मित कोई अन्य निर्माण उपस्कर यान या उसका संयोजन अभिप्रेत है।"

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

क्रमांक 6243/डी. 134/21-अ/प्रारू./छ. ग./25. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2025 (क्रमांक 28 सन् 2025) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्र कुमार कश्यप, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 28 of 2025)

THE CHHATTISGARH MOTORYAN KARADHAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2025.

An Act further to amend the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India, as follows:-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act shall be called the Chhattisgarh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 3.

2. After sub-section (2) of Section 3 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as Principal Act), the following sub-section shall be added, namely:-

"(3) There shall be payable, in addition to the tax payable under sub-section (1), a transfer tax on every transfer of ownership of a motor vehicle at the rate specified in First Schedule."

3. After item IX of the First Schedule of the Principal Act, the following items shall be added, namely:- **Amendment of First Schedule.**

"X. Transfer tax payable at the time of transfer of ownership of a motor vehicle:-

S.No.	Description of Motor Vehicles	Proposed Rate of transfer tax
(1)	(2)	(3)
1.	Non-transport Vehicle	1% of the standard value of the vehicle at the time of registration.
2.	Transport vehicle	0.5% of the standard value of the vehicle at the time of registration."

4. For the entry mentioned in column (2) of serial number 8 of Part-I of Second Schedule of the Principal Act, the following entry shall be substituted, namely:- **Amendment of Second Schedule.**

"All vehicles falling under the category of construction equipment, namely "construction equipment vehicles" shall mean rubber tyres (with pneumatic tyres), self-propelled machines, wheel mounted compactors

with rubber pads or with rubber or steel drums, wheeled hydraulic excavators, wheeled loaders, backhoe loaders, skid-steer loaders, dumpers, motor graders, mobile cranes, dozers and pavers with rubber tracks or pavers with rubber pads or wheels, fork lift trucks, self-loading concrete mixers or self-propelled boom pumps, self-propelled or concrete pumps or earth moving or other vehicles used for mining, loading, transporting, drilling, spreading, piling or trenching of land, rock or other materials, off-highway mining, industrial undertakings, irrigation and any other construction equipment vehicle or combination thereof originally designed for carrying out general construction work but modified and manufactured in on or off or on and off highway form with capabilities."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2025.